



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ 1930 (श10)
पटना, बुधवार, 18 फरवरी 2009
(सं0 पटना 32)

पटना उच्च न्यायालय

अधिसूचना

27 अगस्त 2008

सं0 387 (नियम)—सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 की उपधारा (1)सह-पठित धारा 2(ड)(iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बिहार गजट (असाधारण) में दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 को प्रकाशित पटना उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियमावली, 2005 में एतद द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :-

(क) यह नियमावली, पटना उच्च न्यायालय, (सूचना का अधिकार) नियमावली, 2005 (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008 कहलाएगी।

(ख) ये संशोधन सरकारी गजट में उसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. नियम -8 में संशोधन:-

(क) नियम 8(1)(अ)(i)में — अंक '500' को अंक '10' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ख) नियम 8(1)(अ)(ii)में — अंक '50' को अंक '10' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ग) नियम 8(1)(आ) अन्य शुल्क के कम संख्या-2 में — अंक '5' को अंक '2' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(घ) नियम 8(2)में—अंक '50' को अंक '10' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ङ) नियम 8 में निम्नलिखित उप-नियम (3) जोड़ा जाता है :-

“(3)— सूचना से संबंधित प्रत्येक विषय एवं वर्ष के लिए अलग-अलग आवेदन दिया जाएगा।”

3. प्रपत्र 'एफ' के क्रम संख्या 9 में अंक '50' को अंक '10' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
नरेन्द्र प्रसाद सिंह,
महानिबंधक, प्रभारी।

The 27th August 2008

No. 387 (Rules)—In exercise of the power conferred by sub-section (i) of section 28 read with section 2(e)(iii) of the Right to Information Act, 2005 the Chief Justice of the Patna High Court makes the following amendments in the Patna High Court (Right to Information) Rules, 2005 published in the Bihar Gazette (Extraordinary) dated 19th October, 2005 as here under.

1. *Short Title and Commencement :-*

- (i) These Rules shall be called “The Patna High Court (Right to Information) Rules, 2005(Ist Amendment) Rules, 2008.
- (ii) The amendment shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Amendment in Rule -8*

- (i) In Rule 8(1)(A)(i) - Figure ‘500’ is substituted by figure ‘10’
- (ii) In Rule 8(1)(A)(ii) - Figure ‘50’ is substituted by figure ‘10’
- (iii) In Rule 8(1)(B)other Fees in Sl. No. 2 - Figure ‘5’ is substituted by figure ‘2’
- (iv) In Rule 8(2) - Figure ‘50’ is substituted by figure ‘10’
- (v) Following is added in Rule 8 as Sub rule (3) :-
“(3) – A separate application shall be made in respect of each subject and in respect of each year to which the information relates”

3. In Sl. No. 9 of “Form F” figure “50” is substituted by figure “10”

By order of the Chief Justice,
NARENDRA PRASAD SINGH,
Registrar General, I/C.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 32-571+10-डी0टी0पी0।